राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं. 57/2022

1. दाताराम पुत्र भाताराम
2. भगवानाराम पुत्र भाताराम
3. हनुमान पुत्र भाताराम
4. होशियार सिंह पुत्र भाताराम

   1 लगायत 4 जाति गुर्जर निवासी ग्राम रोजड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........प्रार्थीगण

ब–ना–म

1. रामफल पुत्र रामेश्वर उर्फ रमसिया
2. सहीराम पुत्र रामेश्वर उर्फ रमसिया
3. चान्दली पत्नि रामेश्वर उर्फ रमसिया
4. कमला पुत्री रामेश्वर उर्फ रमसिया
5. बिमला पुत्री रामेश्वर उर्फ रमसिया
6. सन्तरा पुत्री रामेश्वर उर्फ रमसिया
7. सुनिता पत्नि जयराम
8. माया पुत्री जयराम
9. मोनिका पुत्री जयराम
10. राजबाला पुत्री जयराम

    1 लगायत 10 जाति गुर्जर निवासी ग्राम धानोता तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ, हरि0
11. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा खेतड़ी जरिये शाखा प्रबंधक तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
12. तहसीलदार, खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

..........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री हेमराज सिंह :– प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री शीशराम सैनी :– अप्रार्थीगण सं. 1 की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:32:25 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय : **दिनांक 06–09–2022**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि खाता संख्या नया 78 के खसरा नंबर 314 रकबा 2.25 है. तथा खाता संख्या नया 77 के खसरा नंबर 105 रकबा 0.30 है., ख.नं. 171 रकबा 0.31 है., ख.नं. 789 रकबा 0.15 है. कुल किता 3 कुलरकबा 0.76 है. भूमि वाके ग्राम रोजड़ा तहसील खेतड़ी में स्थित है। अप्रार्थीगण का

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

पूर्वज रामेश्वर उर्फ रमसिया अपने बाल्यकाल में ही हरलाल के ग्राम धानोता (हरि0) में गोद चला गया था तथा वहां पर ही मकान बनाकर आबाद हो गया तथा उसके फौत होने पर अप्रार्थीगण आबाद है तथा हरलाल की जमीन पर काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण के पूर्वज रामेश्वर उर्फ रमसिया के अपने बाल्यकाल में ही ग्राम धानोता (हरि0) में हरलाल के गोद चले जाने से रामेश्वर उर्फ रमसिया का अपने पिता स्व. चन्द्राराम की भूमि पर कोई हक व हिस्सा नहीं रहा तथा उसका अपने दत्तक पिता हरलाल की भूमि में हक व हिस्सा निहित हो गया। इस प्रकार चन्द्राराम की भूमि का एक मात्र उत्तराधिकारी होने के कारण प्रार्थीगण का पिता भाताराम उपरोक्त विवादित भूमि पर काबिज रहकर काश्त करता रहा तथा उसके फौत होने पर उक्त सम्पूर्ण भूमि पर प्रार्थीगण काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं तथा उक्त भूमि में अपने मकान बनाकर आबाद है। चन्द्राराम के फौत होने पर विरासतन का नामांतरकरण दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारियों ने गलती से अप्रार्थीगण के पिता रामेश्वर उर्फ रमसिया का नाम भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया जबकि उसका उक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा निहित नहीं है। अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 10 प्रार्थीगण की उक्त भूमि पर आये और एलानिया धमकी देने लगे कि उक्त भूमि हमारी है तथा राजस्व रिकार्ड में हमारे पूर्वज के नाम से खातेदारी में दर्ज है। हम इसका नामांतरण अपने नाम दर्ज करवाकर इसको किसी अन्य दीगर व्यक्ति को बेचान करेंगे। चन्द्राराम के फौत होने पर विरासतन का नामांतरण दर्ज करते समय राजस्व कम्रचारियों ने गलती से अप्रार्थीगण के पिता का नाम भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया जबकि उसका उक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा निहित नहीं है। अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 10 को प्रार्थीगण के हक व हिस्से की उक्त भूमि का विरासतन का नामांतरण अपने नाम करवाने तथा प्रार्थीगण के हक व हिस्से की पुश्तैनी सम्पत्ति को बेचान, रहन, दान व अन्य किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द या हस्तान्तरण करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 10 प्रार्थीगण के हक व अधिकार की उक्त भूमि को बेचान, रहन, दान आदि कर देते हैं व प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा पैदा करते हैं या दख्लंदाजी करते हैं तो प्रार्थीगण अपने हक व अधिकारों से व अपनी उक्त पुश्तैनी भूमि से वंचित हो जायेंगे, जिससे प्रार्थीगण को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा। इसलिए प्रार्थीगण के लिए यह आवश्यक हुआ है कि वह न्यायालय श्रीमान जी से अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 10 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवायें। इसलिए प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि :–

(क) अप्रार्थी सं. 1 लगायत 10 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि दौराने मूल दावा वाके ग्राम रोजड़ा तहसील खेतड़ी स्थित खाता संख्या नया 78 के खसरा नंबर 314 रकबा 2.25 है. तथा खाता संख्या नया 77 के खसरा नंबर 105 रकबा 0.30 है., ख.नं. 171 रकबा 0.31 है., ख.नं. 789 रकबा 0.15 है. कुल किता 3 कुल रकबा 0.76 है. भूमि का विरासतन का नामांतरण अपने नाम से नहीं करवायें तथा उक्त भूमि में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधा पैदा नहीं करें या दखलंदाजी नहीं करें तथा ऐसा कार्य ना तो स्वयं करें और ना ही [illegible] रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें और यदि अप्रार्थी सं. 1 लगा. [illegible] द्वारा उक्त भूमि के सम्बंध में किसी प्रकार का विक्रय पत्र तस्दीक करवाया [illegible] शून्य माना जावे।

(ख) अप्रार्थी सं. 12 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से [illegible] फरमाया जावे कि दौराने प्रार्थना पत्र वह वाद वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड की य[illegible]स्थिति बनाये रखें तथा वाद वर्णित भूमि का विरासतन का नामांतरण अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज नहीं करें तथा वाद वर्णित भूमि में प्रार्थीगण के हक व हिस्से के सम्बंध में अप्रार्थी सं. 1 लगायत 10 की ओर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:32:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

से प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज विलेख का पंजीयन नहीं करें। ऐसा ना तो स्वयं करें और ना ही अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी से करावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 10 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को अस्वीकार किया है तथा काउण्टर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम रोजड़ा तहसील खेतड़ी में स्थित भूमि गत ख.नं. 44 मी. में अप्रार्थी सं.1 लगा. 10 के पूर्वज रामेश्वर पुत्र चन्द्राराम के नाम से उनके व्यक्तिगत कब्जे काश्त के आधार पर नामांतरकरण सं. 184 दिनांक 26.10.1977 को गत ख.नं. 44 मी. में रकबा 10 बीधा में 1/2 भाग की भूमि दर्ज रिकार्ड की गई। उक्त भूमि की गैर खातेदारी संवत् 2044 से 2052 तक अप्रार्थीगण के पूर्वज स्व. रामेश्वर के नाम रही है तथा उक्त भूमि पर कब्जा काश्त होने पर गैर खातेदारी से खातेदारी में नामांतरकरण सं. 152 दिनांक 30.07.1999 को दर्ज किया गया। इस प्रकार गत् ख.नं. 44 मी. के हाल ख.नं. 314 रकबा 2.25 है. भूमि बरकर आई है। उक्त भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 लगा. 10 के पूर्वज रामेश्वर को खातेदारी अधिकार मिले हैं। रामेश्वर की मृत्यु दिनांक 11.04.2012 को हो चुकी है। उक्त भूमि अप्रार्थीगण अपने पिता स्व. रामेश्वर के जीवनकाल से ही काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। इस प्रकार ख.नं. 314 रकबा 2.25 है. के 1/2 भाग की भूमि के अप्रार्थी सं. 1 लगा. 10 के नाम से खातेदारी दर्ज रिकार्ड है जो उनके पूर्वज स्व. रामेश्वर से मिली है उक्त भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 लगा. 10 अपने पिता स्व. रामेश्वर के जीवनकाल से ही काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। इस प्रकार ख.नं. 314 रकबा 2.25 है. के 1/2 भाग की भूमि अप्रार्थी सं. 1 लगा. 10 के नाम से खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि स्व. रामेश्वर की अलोटमेंट शुदा भूमि व स्वअर्जित भूमि होने से अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं। रामेश्वर का किसी दिगर स्थान पर गोद जाने से उनके कब्जे काश्त/एलोटमेंट शुदा भूमि से खातेदारी से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 1 लगा. 10 को उक्त भूमि का खातेदार दर्ज होने, उनका कब्जा काश्त उनके पूर्वज स्व. रामेश्वर के जीवनकाल से रहने से उनका यह प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

अतः काउण्टर अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे हाल ख.नं. 314 रकबा 2.25 है. में अप्रार्थी सं. 1 लगा. 10 के 1/2 भाग की भूमि में उनके कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में बाधा कारित नहीं करें, ना ही निर्माण कार्य करें। ऐसा कृत्य ना तो स्वयं करें ना ही अपने परिवारजनों, मजदूरों आदि से करवायें।

प्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 10 द्वारा प्रस्तुत काउण्टर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जवाब प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण की काउण्टर अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्यों को अस्वीकार कर कथन किया है कि अप्रार्थीगण सं 1 लगा. 10 का पूर्वज रामेश्वर उर्फ रमसिया अपने बाल्यकाल में अर्थात् 5 वर्ष की उम्र में ग्राम धानोता (हरि0) में हरलाल पुत्र चन्दरया के गोद चला गया था और हरलाल के फौत होने पर उसकी विरासतन भूमि का नामांतरण दिनांक 16.09.1969 को जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा से स्वीकृत हुआ। इस प्रकार अप्रार्थीगण का पिता अपने पूरे जीवनकाल में [illegible] ता में रहा, ग्राम रोजड़ा में कभी नहीं रहा तथा ना ही विवादित [illegible] रहा। ग्राम रोजड़ा में स्थित प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पूर्वज चन्द्राराम [illegible] राजस्व कर्मचारियों ने गलती से विरासतन का नामांतरकरण दोनों पुत्रों के नाम दर्ज कर दिया। ग्राम रोजड़ा तहसील खेतड़ी में स्थित भूमि गत खसरा नंबर 44 मी. भू[illegible] प्रार्थीगण के पूर्वज चन्द्राराम ने अपनी मेहनत से काश्त योग्य भूमि बनाई और काबिज रहकर काश्त करने लगा जिसको दिनांक 17.07.1968 को अलोटमेंट हुई और उसके पुराना कब्जा काश्त होने के कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:32:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

पश्चात् हाल पैमाईश में उक्त अलोटमेंट से नामांतरकरण सं. 184 दिनांक 26.10.1977 दर्ज हुआ। इस प्रकार हाल खाता सं. 77 व 78 दोनों में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पिता के नाम खातेदारी दर्ज हुई किन्तु प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पूर्वज चन्द्राराम के फौत होने पर उसकी समस्त भूमि में राजस्व कर्मचारियों ने गलती से विरासतन का नामांतरकरण दर्ज करते समय दोनों पुत्रों का नाम दर्ज कर दिया। हाल खसरा नंबर 314 रकबा 2.25 है. भूमि को प्रार्थीगण के दादा स्व. चन्द्राराम ने अपनी मेहनत से काश्त योग्य बनाई तथा पुराना कब्जा होने के कारण अलोटमेंट हुई थी। अब अप्रार्थीगण राजस्व कर्मचारियों की गलती से नामांतरकरण दर्ज होने के कारण उक्त भूमि हड़पना चाहते हैं जबकि गोद चले जाने के बाद अपने पिता की चल अचल सम्पत्ति में कोई हक व अधिकार नहीं होता है तथा जो व्यक्ति पांच वर्ष की उम्र में दूसरे राज्य में जाकर निवास करने लग गया तथा वहां का स्थाई निवासी बन गया और अपने पूर्वजों की भूमि में राजस्व कर्मचारियों की गलती से नामांतरकरण दर्ज होने पर बदनीयतीपूर्वक प्रतिवादीगणों द्वारा उक्त आराजियात हड़पना प्रार्थीगण के हक व अधिकारों पर कुठाराघात व अन्याय है। अतः अप्रार्थीगण का काउन्टर प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं. 11 व 12 बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2070–2073 खाता सं. 78 व 77 का अवलोकन किया गया। भूमि खसरा नंबर 314 रकबा 2.25 है. में प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा व रामेश्वर पुत्र चन्द्राराम का हिस्सा 1/2 दर्ज है तथा भूमि खसरा नंबर 105, 171, 789 कुल किता 3 कुल रकबा 0.76 है. में प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा व रमसिया पुत्र चन्द्रा हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार विवादित भूमि में प्रार्थीगण व रामेश्वर पुत्र चन्द्राराम उर्फ रमसिया पुत्र चन्द्रा की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। वादग्रस्त भूमि में मुख्य विवाद उक्त खातेदार रामेश्वर पुत्र चन्द्राराम उर्फ रमसिया पुत्र चन्द्रा की खातेदारी को लेकर है। उक्त खातेदार रामेश्वर उर्फ रमसिया का देहान्त हो चुका है। उक्त रामेश्वर उर्फ रमसिया के विरासतन नामांतरकरण की कार्यवाही अभी लम्बित है। रामेश्वर उर्फ रमसिया की खातेदारी भूमि पर पक्षकारान के कब्जे काश्त की स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र में विचारणीय बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति को दृष्टिगत रखते हुए अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 10 को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। वाद में वर्णित अनुतोष का निर्धारण विस्तृत साक्ष्य एवं रिकॉर्ड के आधार पर किया जाना उचित होगा।

अतः इस न्यायालय द्वारा पारित अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 06–06–2022 को ताफैसला वाद पुष्ट (Confirm) किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06–09–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:32:25 IST
Reason: SelfAttested